

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अप्रैल, 2006

का.आ. 501(अ).— जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 9 मई, 2003 की अधिसूचना सं० सां० आ० 523 (अ०) द्वारा केन्द्रीय सरकार राष्ट्रोत्थान परिषद, केशव शिल्प, केम्पेगोडा नगर, बंगलौर-560019, कर्नाटक द्वारा विद्यालय/अस्पताल भवन, आवासीय भवनों, सड़कों का विकास, तरणताल, स्टेडियम, आंतरिक सजावट का निर्माण और सुसज्जित करने तथा फर्नीचर की खरीद की परियोजना को कर निर्धारण वर्ष 2004-2005 से आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से दो वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया था;

और जबकि उक्त परियोजना अथवा स्कीम की दो वर्ष से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है;

इसलिए अब केन्द्रीय सरकार एतद्वारा आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रोत्थान परिषद, केशव शिल्प, केम्पेगोडा नगर, बंगलौर-560019, कर्नाटक द्वारा चलाई जा रही विद्यालय/अस्पताल भवन, आवासीय भवनों, तरणताल, स्टेडियम आंतरिक सजावट का निर्माण और सुसज्जित करके और फर्नीचर की खरीद की परियोजना या स्कीम को अनुमानित लागत अर्थात् 670.00 लाख रूपए में बिना कोई परिवर्तन

लिए वित्तीय वर्ष 2005-2006 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है ।

[सं. 101/2006/फा. सं. एन. सी.-270/55/2006]

सुनील चन्द्र शर्मा, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)